

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

16 JUL 2015

क्रमांक : प. 1(134)एमई/गुप-1/87

जयपुर, दिनांक :

आदेश


राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ए के उप नियम-8 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर निम्नांकित वरिष्ठ प्रदर्शक, पी.एण्ड एस.एम. को वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक आचार्य, पी.एण्ड एस.एम. के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

- (1) डॉ० रश्मि गुप्ता
- (2) डॉ० राहुल मीणा (अजजा)

पदोन्नति पर उक्त चिकित्सकों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० रश्मि गुप्ता	वरिष्ठ प्रदर्शक, पी.एण्ड एस.एम. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सहायक आचार्य, पी.एण्ड एस.एम. मेडिकल कॉलेज, अजमेर
2.	डॉ० राहुल मीणा	वरिष्ठ प्रदर्शक, पी.एण्ड एस.एम. मेडिकल कॉलेज, कोटा	सहायक आचार्य, पी.एण्ड एस.एम. मेडिकल कॉलेज, कोटा

आदेश से,


(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
7. संबंधित चिकित्सक को द्वारा संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज।
8. श्री पी.पी. तिवाड़ी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


(धन्ना लाल)
शासन सहायक सचिव